

राजस्थान विश्वविद्यालय जयपूर

क्रमाक :-लेखा एवं वित्त-III / 2025 / 691.

दिनांक :- 18-8-2-5

परिपत्र

दिनाक 1.1.2004 के पश्चात नियुक्त समस्त स्थायी / नियमित कार्मिकों हेतु राजस्थान सरकारी स्वारच योजना (RGHS) में पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है।

इस सन्दर्भ में निर्देशित किया जाता है कि जिन कार्मिको ने अब तक RGHS में पंजीकरण नही करवाया है। वे अपना अविदन पत्र 20.08.2025 तक अनिवार्य रूप से मेडिकल अनुभाग में प्रस्तुत कर दे। अन्तिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचार नही किया जायगा।

वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार

क्रमांक :-लेखा एवं वित्त-III / मेडिकल /2025 692-750 दिनांक : 188-25

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :-

- विभागाध्यक्ष, निदेशक / प्रभारी अधिकारी / शैक्षणिक एंव अशैक्षणिक राजस्थान विश्वविद्यालय,जयपुर।
- महाराजा / महारानी / राजस्थान / कॉमर्स / विधि महाविद्यालय (प्रातः एव सांय) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपूर।
- 3. मुख्य कुलानुशासक / मुख्य आवासाधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- 4. अधिष्ठाता,छात्र कल्याण, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- समस्त चिकित्सा अधिकारी,स्वास्थ केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- 6. जन सम्पर्क अधिकारी ,राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- निदेशक, इन्फोर्नेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- निजी सचिव, कुलगुरू महोदया / कुलसचिव / वित्त नियत्रंक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- 9. परीक्षा नियन्त्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- 10. समस्त उप कुलसचिव / सहायक कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- 11. रक्षित पत्रावली।

उप-कुलसचिव